भारत का प्रधानमंत्री - (Prime Minister of India)

संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा भारत की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है, किन्तु राष्ट्रपति की शक्तियां औपचारिक ही हैं और व्यवहार में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। वह सम्पूर्ण शासन प्रणाली का मूल आधार है और राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्रबिन्दु है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है। वह अपने दल और जनता का सर्वोच्च नेता तथा देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है। बिलियम डारकोर्ट के अनुसार "प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है।" संविधान के अनु० 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा।" सच्च प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं-

1- प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल - ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह भारत का प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमण्डल के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केन्द्रबिन्दु है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्रिमण्डल में किसे सम्मिलित करे और कितने मंत्री हों। वह मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण भी अपनी इच्छानुसार करता है। वह मंत्रियों को अपनी इच्छानुसार पदच्युत भी कर सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता तथा सुदृढ़ता कायम रखता है।

2- प्रधानमंत्री और संसद - प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद गठित करने के लिए आमंत्रित करता है। वह संसद में मंत्रिमण्डल का प्रतिनिधित्व करता है, महत्व-पूर्ण विधेयकों पर भाषण देता है, सरकारी नीति के मुख्य विषयों के संबंध में घोषणाएं करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भाषण देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा भंग करता है।

3- प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति - प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच मुख्य कड़ी होता है। वह मंत्रिमण्डल के निर्णयों तथा प्रशासन संबंधी अन्य बातों की सूचना राष्ट्रपति के विचारार्थ मंत्रिमण्डल के समक्ष रखता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण हाथ रहता है।

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

4- प्रधानमंत्री और जनमत - प्रधानमंत्री संसद का नेता होने के अतिरिक्त जनता का नेता भी होता है। वास्तव में उसकी शक्ति का स्त्रोत प्रचण्ड जनमत का समर्थन है। प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है क्योंकि चुनाव उसके नाम से ही लड़े जाते हैं तथा जनता उसके नाम पर ही पार्टी को मत देती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पंडित नेहरु एवं श्रीमती इंदिरागांधी हैं।

5- प्रधानमंत्री और दल - प्रधानमंत्री संसद का नेता होने के साथ-साथ अपने दल का वास्तविक नेता भी होता है। भारत में प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को हमेशा पराजय का सामना करना पड़ा। सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन है। प्रधानमंत्री की सम्पूर्ण शक्ति इस बात पर ही आधारित है कि वह अपने दल में महत्व पूर्ण स्थान, दलीय नेतृत्व की क्षमता एवं दल के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकने में पूर्ण सक्षम है अथवा नहीं।

6- प्रधानमंत्री के अन्य कार्य - भारत में परराष्ट्र एवं गृह नीति के निर्माता के रुप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है। प्रधानमंत्री नीति निर्माता होता है। आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों में अपार वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय कोष पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है और उसके तत्वावधान में वार्षिक वित्त विवरण तैयार करता है। भारत के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति एवं विभिन्न प्रकार की उपाधियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का प्रमुख, संसद का नेता, देश का नेता, दल का नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। डा. अम्बेडकर के शब्दों में, "वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण नेतृत्व की धुरी है।"

Scanned by TapScanner

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता लोगों के प्रतिनिधियों में निवास करती है। राजव्यवस्था का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद करता है और राष्ट्रपति उसके परामर्श के अनुसार काम करता है। मंत्रि-परिषद ही सरकार है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायतार्थ व परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे।

मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और उपमंत्री। मंत्रिमण्डल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं जिसकी शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित हैं-

1- नीति निर्धारण संबंधी कार्य- मंत्रिमण्डल एक विचारशील तथा नीतिनिर्धारक निकाय है। मंत्रिमण्डल ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करता है तथा शासन संबंधी नीति निश्चित करता है। यह वह सेतु है जो विधायिका तथा कार्यपालिका को जोड़ता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में मंत्रिमण्डल व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम तैयार करता है। उसी की ओर से सरकारी विधेयक संसद में पुनःस्थापित होते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य इसकी इच्छानुसार ही होता है तथा प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है।

2- प्रशासन संबंधी कार्य- मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्य-पालिका है, इस लिए प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना मंत्रिमण्डल का कार्य है। वह यह देखता है कि देश का शासन सुचारु रुप से चल रहा है अथवा नहीं। राज्य के महत्वपूर्ण पदों, जैसे- राज्यपालों, न्यायाधीशों, राजदूतों, संघीय लोकसेवा के सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमण्डल ही करता है। आपातकाल की घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना मंत्रिमण्डल का एक प्रमुख कार्य है।

3- विधायी कार्य- मंत्रिमण्डल को विधायी क्षेत्र में महत्वर्श शक्तियां प्राप्त होती है। वह सरकार की ओर से संसद में सभी विधेयकों को पुनःस्थापित करता है और उन्हें स्वीकृत कराता है। मंत्रिमण्डल के सदस्य विधेयक को संसद

Scanned by TapScanner

में प्रस्तुत करता है। मंत्रिमण्डल संसद की कार्यवाही निश्चित करता है तथा बजट तैयार करता है।

4- वैदेशिक कार्य - विदेशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संधियां करने का कार्य मंत्रिमण्डल ही करता है। दूसरे देशों के साथ युद्ध घोषित करना तथा युद्धोपरान्त शांति समझौता करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना मंत्रिमण्डल का ही दायित्व है।

5- समन्वय संबंधी कार्य - शासन के विभिन्न विभागों के कार्यों का मार्गदर्शन करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना मंत्रिमण्डल का महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमण्डल समस्त विभागों में उत्पन्न होने वाले विवादों एवं मतभेदों को दूर करके समन्वय स्थापित करता है।

इस प्रकार रैम्जेम्योर के अनुसार " मंत्रिमण्डल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है।" मेरियट के शब्दों में -" मंत्रिमण्डल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है।"